प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर: DEV/JAIPUR-1/TRUST/2026/1953
चूंकि प्रार्थी श्री Parashar Narayan Sharma, 10, Sagar Road, Laxmi Vihar colony Bikaner, Rajasthan - 334001 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास समता आंन्दोलन समिति,39, Ram Nagar, C, Jotwara, Jaipur के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 18.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आईदा तारीख पेशी 29.05.2026
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर: DEV/JAIPUR-1/TRUST/2026/2004
चूंकि प्रार्थी श्री PIYUSH DHINGRA, 92A, TANEJA BLOCK, ADARSH NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN - 302004 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास जय विश्वनाथ जनकल्याण संस्थान KHASRA NO. 138, KESHAVPURA, AJMER ROAD, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 25.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आईदा तारीख पेशी 02.06.2026
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18(2) के अधीन नोटिस कार्यालय सहायक आयुक्त (द्वितीय) देवस्थान विभाग, जयपुर
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर: DEV/JAIPUR-II/TRUST/2026/4138
चूंकि प्रार्थी श्री Uma Ratnu, 62, Charon ka Rasta, mohalla- 2,Bodlasi Sikar, Rulyani, Rajasthan -332028, सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1995 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास नारी उत्थान संस्थान, नारी उत्थान संस्थान (स्नेहालय) गुल गोहर होटल के पास पेट्रोल पंप के सामने अलवर रोड विराट नगर जिला-कोटपूतली,बहरोड राजस्थान।- 303102 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें। और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नही की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 27.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आईदा तारीख पेशी 29.05.2026
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-द्वितीय

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

जयपुर में यादगार से सांगानेर तक बनेगा मॉडल ट्रैफिक कॉरिडोर

देश के प्रमुख महानगरों की यातायात व्यवस्था का अध्ययन करके बनाई जयपुर की रूपरेखा

- ट्रैफिक पुलिस की बदलेगी वर्दी, यातायात जाम की स्थिति का आंकलन करने के लिए ड्रोन का उपयोग भी किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री भजनलाल के निर्देश पर इस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को चरणबद्ध रूप से राजधानी में लागू किया जाएगा।

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजधानी जयपुर में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने विशेष प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत ट्रैफिक पुलिस में ट्रैफिक इंस्पेक्टर से लेकर एडिशनल डीसीपी के पदों में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता सुधार के लिए उनकी वर्दी बदलेगी। अभी व्हाइट रंग से बदलते हुए नए कलर की वर्दी दी जाएगी। ट्रैफिक पुलिस बेड़े के ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को 20 मॉडिफाइड मोटरसाइकिलें मिलेंगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जयपुर ट्रैफिक पुलिस ने देश के प्रमुख महानगरों की यातायात व्यवस्थाओं का अध्ययन एवं फील्ड विजिट करने के बाद समीक्षा कर व्यापक सुधार की रूपरेखा बनाई है। इस इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को चरणबद्ध रूप से शहर में लागू किया जाएगा। साथ ही अजमेरी गेट स्थित यादगार से सांगानेर तक मॉडल ट्रैफिक कॉरिडोर के रुप में विकसित किया जाएगा। ट्रैफिक की निगरानी एवं जाम की स्थिति का आंकलन करने के लिए ड्रोन का उपयोग भी किया जाएगा।

प्लान के तहत शुरुआती चरण में टोंक रोड को यादगार से सांगानेर तक मॉडल ट्रैफिक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा। इस कॉरिडोर पर नगर निगम और जेडीए के कॉर्डिनेशन से अलग-अलग काम करवाए जाएंगे।

इसमें सड़क डिजाइन में आवश्यक सुधार करते हुए असुरक्षित कट्स (मीडियन ओपनिंग) को बंद किया जाएगा। पैदल यात्रियों के लिए सेफ फुटपाथ का निर्माण, यू-टर्न और क्रॉसिंग पॉइंट्स का टेक्निकली कार्य शामिल किए जाएंगे। ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग को भी रीयल टाइम यातायात दबाव के अनुसार डायनेमिक बनाया जाएगा।

ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को मिलेंगी 20 बाइक

जयपुर ट्रैफिक पुलिस के बेड़े में 20 मॉडिफाइड मोटरसाइकिलें भी शामिल होंगी। यह मोटरसाइकिल ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को मिलेंगी। इन्हें विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इससे ट्रैफिक इंस्पेक्टर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में तेज मूवमेंट कर सकेंगे। ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी बढ़ाया जाएगा। इसमें अभय कमांड सेंटर से जुड़े अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों की स्थापना शामिल है। इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।

72 ट्रैफिक बीट में बंटेगी जिम्मेदारी

जयपुर शहर को 72 ट्रैफिक बीट्स में विभाजित करने से प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट जिम्मेदारी निर्धारित हो सकेगी। प्रत्येक बीट में कार्मिकों की संख्या बढ़ाने के साथ ही उनकी तैनाती को तर्कसंगत बनाया जाएगा। इससे पीक ऑवर्स में प्रभावी यातायात नियंत्रण एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित होगी। यातायात प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए बीट स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एवं जवाबदेही की प्रणाली विकसित होगी।

ट्रैफिक पुलिस में अफसरों के पदों की संख्या बढ़ाई

नए प्लान के तहत ट्रैफिक पुलिस के प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव होगा। अब जयपुर शहर में अब एडीसीपी (ट्रैफिक) के पदों की संख्या 2 से बढ़ाकर 4 करने से जयपुर शहर के प्रत्येक पुलिस जिले में एक-एक एडीसीपी (ट्रैफिक) की तैनाती सुनिश्चित होगी। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी तथा बेहतर निरीक्षण संभव होगा।

इसी प्रकार एसीपी (ट्रैफिक) के पदों की संख्या भी 4 से बढ़ाकर 8 करने से प्रत्येक पुलिस जिले में 2 एसीपी (ट्रैफिक) नियुक्त किए जाएंगे। इससे निगरानी, प्रवर्तन एवं समन्वय का कार्य अधिक प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेगा। वहीं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर (टीआई) की संख्या 15 से बढ़ाकर 20 करने से प्रत्येक पुलिस जिले में औसतन 5 टीआई की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे स्थानीय स्तर पर जवाबदेही एवं नियंत्रण में सुधार हो पाएगा।

4 अति. पुलिस उपायुक्तों को ट्रैफिक मैनजमेंट का जिम्मा

जयपुर। राज्य सरकार के गृह विभाग ने सोमवार को एक आदेश जारी कर पुलिस बेड़े में प्रशासनिक फेरबदल किया है। जारी इन आदेशों के तहत जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में चार अतिरिक्त पुलिस उपायुक्तों (एडीसीपी) के स्थानांतरण और पदस्थापन किए गए हैं। इस बदलाव का मुख्य केंद्र यातायात शाखा और मुख्यालय उत्तर रहे हैं।वरिष्ठ शासन उप सचिव (पुलिस) रत्नेश कुमार शर्मा द्वारा जारी इन आदेशों के अनुसार एसओजी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हरिप्रसाद सोमानी को अब अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात (उत्तर) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चतुर्थ बटालियन आरएसी के कमांडेंट समीर कुमार को अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, यातायात (पश्चिम) के पद पर तैनात किया गया है। पीसीपीएनडीटी इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. हेमन्त कुमार जाखड़ अब अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, यातायात (पूर्व) के रूप में कार्यभार संभालेंगे औरयातायात शाखा (उत्तर) में कार्यरत सरिता बड़गुर्जर का तबादला कर उन्हें अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय-उत्तर) पुलिस आयुक्तालय जयपुर के पद पर नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ शासन उप सचिव (पुलिस) रत्नेश कुमार शर्मा द्वारा जारी इन आदेशों में सभी अधिकारियों को अपने नवीन पदस्थापन स्थान पर तुरंत प्रभाव से कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस फेरबदल से शहर की यातायात व्यवस्था और प्रशासनिक कामकाज में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी।

"राजस्थान यूथ डायलॉग" में मुख्यमंत्री ने किया संवाद

युवा शक्ति ही देश की दिशा तय करेगी : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'माय भारत बजट क्वेस्ट-राजस्थान यूथ डायलॉग'' कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभागियों से संवाद किया।

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी पूंजी हैं और वही देश की दशा और दिशा तय करते हैं। उन्होंने युवाओं से अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करने का आव्हान करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार उनके हर कदम पर साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 'माय भारत बजट क्वेस्ट-राजस्थान यूथ डायलॉग'' कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभागियों से संवाद किया। इस दौरान युवाओं ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और युवा नीति लागू करने जैसे निर्णयों के लिए सरकार का आभार जताया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस प्रतियोगिता में 75 हजार से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें राज्य के युवाओं ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार ने 4 लाख भर्तियों के लक्ष्य के तहत अब तक एक लाख 25 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है, जबकि निजी क्षेत्र में 3 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

पेपर लीक जैसे मामलों पर सख्ती दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित कर 420 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले दो वर्षों में 351 से अधिक परीक्षाएं बिना किसी पेपर लीक के पारदर्शी तरीके से करवाई हैं।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

पूरक परीक्षा वर्ष 2026 हेतु ऑनलाइन शुल्क जमा कराने बाबत् सूचना

वर्ष 2026 की पूरक परीक्षा के लिये ऑनलाईन शुल्क जमा कराने की तिथियां निम्नानुसार है :-

परीक्षा शुल्क का प्रकार	शालाओं द्वारा चालान मुद्रण करने की अवधि	परीक्षा शुल्क बैंक में जमा कराने की अन्तिम तिथि	शाला द्वारा बैंक रसीद एवं अग्रेषण सूची बोर्ड कार्यालय को भेजने की अन्तिम तिथि
1.सामान्य परीक्षा शुल्क	15.04.2026 से 22.04.2026	24.04.2026	01.05.2026
2.एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क सहित	23.04.2026 से 27.04.2026	29.04.2026	
3. असाधारण परीक्षा शुल्क रू. 1500/- शास्ति + नियमित परीक्षार्थी शुल्क रू 600/- कुल 2100/- व स्वयंपाठी परीक्षार्थी शुल्क रू 650/- व रू. 1500/- शास्ति शुल्क सहित कुल रू. 2150/-	परीक्षा प्रारम्भ होने तक (शुल्क केवल पूरक परीक्षा केन्द्र पर बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा होगा।)		

पूरक परीक्षा 2026 प्रारम्भ होने की तिथि	
पूरक परीक्षा (प्रायोगिक)	गुरूवार 07 मई 2026
पूरक परीक्षा (सैद्धान्तिक)	गुरूवार 14 मई 2026

परीक्षा शुल्क नियमित परीक्षार्थियों के लिये 600/- तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थियों के लिये 650/- निर्धारित है। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क रू. 100/- प्रति विषय पृथक से देना होगा। **विद्यालय एवं परीक्षार्थी मूल अंकतालिकाओं का इन्तजार नहीं करें तथा पूरक परीक्षा शुल्क जमा कराने की कार्यवाही शीघ्र करें।** विशेष योग्यजन (दिव्यांग) तथा युद्ध में वीरगति को प्राप्त अथवा अपाहिज सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों/ पुलवामा हमले में शहीद हुए सैनिको के आश्रितों को परीक्षा शुल्क से मुक्त रखा गया है, किन्तु इन्हे टोकन शुल्क 50/- रू. जमा कराना होगा। अधिक जानकारी बोर्ड वेबसाईट http://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। बोर्ड कन्ट्रोल रूम फोन नम्बर 0145-2632866, 2632867, 2632868 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
Email ID ddexamfirst@gmail.com
सचिव

'मई-जून में गर्मी पडेगी और बाद में बारिश होगी, इसलिए फिलहाल चुनाव नहीं करवा सकते'

पंचायत और निकाय चुनाव की तारीख आगे बढ़वाने के लिए हाईकोर्ट पहुंची राज्य सरकार

- अदालत में दायर प्रार्थना पत्र में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि "ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 30 सितंबर तक आने की संभावना है। इसके बाद आरक्षण तय कर तुरंत चुनाव अधिसूचित कर दिए जाएंगे।"

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में पंचायत व निकाय चुनाव में देरी से जुडे मामले में राज्य सरकार ने अब चुनाव कराने की तिथि को बढ़ावाने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसमें राज्य सरकार ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में आगामी महीनों में चुनाव करना संभव नहीं है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि, मई-जून में गर्मी पडेगी और बाद में बारिश होगी, इसलिए फिलहाल चुनाव नहीं करवा सकते।

महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद की ओर से पेश प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि अभी तक ओबीसी आरक्षण का निर्धारण नहीं हो पाया है और संविधान के अनुच्छेद 243-डी एवं 243-टी के तहत स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण देने का प्रावधान है। इसलिए राज्य में पंचायत व निकाय चुनाव अभी नहीं हो सकते। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 30 सितंबर तक आने की संभावना है। ऐसे में ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलते ही आरक्षण तय कर तुरंत चुनाव अधिसूचित कर दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने यह प्रार्थना पत्र पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज देवंदा की जनहित याचिकाओं में दायर किया है।

राज्य सरकार ने कहा कि स्थानीय निकायों के लिए करीब 1.26 लाख और ग्रामीण पंचायती संस्थाओं के लिए करीब 2.50 लाख मतदान कर्मचारियों की जरूरत होगी। इनमें करीब 70 फीसदी शिक्षाकर्मी रहेंगे। फिलहाल स्कूलों में 1 अप्रैल 2026 से शैक्षिणक शुरू हो चुका है और मई-जून में प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है। वहीं जुलाई से सितंबर तक मानसून और कृषि कार्यों में आमजन व्यस्त रहेगा। इस दौरान चुनाव कराना न तो कर्मचारियों, उम्मीदवारों और मतदाताओं के स्वास्थ्य के लिए उचित है और न ही व्यावहारिक। वहीं कई पंचायत समितियों और जिला परिषदों का कार्यकाल सितंबर से दिसंबर 2026 में खत्म होगा। राज्य चुनाव आयोग को चुनाव अधिसूचना जारी करने और प्रक्रिया पूरी करने में कम से कम तीन महीने का समय लगेगा। इसलिए चुनाव कराने के लिए समय दिया जाए। मामले से जुड़े अधिवक्ता प्रेमचन्द देवन्दा ने बताया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ ने गिरिराज सिंह की याचिका मंजूर कर 14 नवंबर 2025 को प्रदेश की पंचायतों और स्थानीय निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक करवाने के लिए राज्य सरकार व निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए थे, लेकिन राज्य सरकार ने आदेश की पालना नहीं की और अब चुनाव का समय बढवाने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दायर किया है।

अनसेफ पाए जाने पर 17 खाद्य उत्पाद प्रतिबंधित

प्रदेशभर में वितरण, विक्रय और डिस्पले पर दो माह तक रोक

जयपुर। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने मिलावटी 17 खाद्य उत्पादों को प्रदेशभर में 2 माह तक प्रतिबंधित कर दिया है। राज्य में इनके वितरण, विक्रय और डिस्पले पर रोक लगा दी गई है। पिछले दिनों विभाग ने इन तमाम सामग्रियों के सैंपल लिए थे, जो कि जांच में अनसेफ पाए गए।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि युवराज बीकानेर ब्रांड की केसर बाटी, बंगाल गोल्ड ब्रांड की चाय, शुगर बॉयल्ड कंफेक्शनरी "नगद नारायण" तथा श्री डेयरी प्रीत, हरियाणा और श्री डेयरी ब्राइट ब्रांड का घी, श्री साई मसालेवाला ब्रांड की हल्दी, धेनु सरस ब्रांड घी, ईजी डेयरी ब्रांड घी, भोग विनायक घी, ब्रांड स्नेक टेक का रोस्टेड चना, हरियाणा क्रीम ब्रांड घी, श्री भैरव सरस घी, जयश्री कृष्णा घी, डेयरी पंजाब घी तथा बालाजी ब्रांड का तीखा मीठा मिक्स नमकीन खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में असुरक्षित पा गए है।

खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि खाद्य व्यापारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 46(4) की निर्धारित अवधि में पुनः जांच के लिए अपील करने के बाद रेफ़रल प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनसेफ प्राप्त होने या धारा 46(4) की अवधि में अपील नहीं करने पर इन खाद्य पदार्थों के रिकॉल की प्रकिया अमल में लाई जाएगी। अतः आमजन को सलाह दी गई है कि वे इन खाद्य पदार्थों की खरीद और उपयोग नहीं करें।

अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने बताया कि जिन उत्पादों का निर्माण दूसरे राज्यों में हो रहा है, उन राज्यों में स्थापित निर्माण इकाइयों या कम्पनियों पर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए वहां के खाद्य सुरक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है।

राज्यपाल से भेंट

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से सोमवार को लोकभवन में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मुलाकात की।

सार्वजनिक सूचना

इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रिंटफ्रेश एलएलसी, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक कंपनी (जिसे आगे "हमारा ग्राहक" कहा जाएगा), "बधीरा" नामक मूल कलाकृति (जैसा कि नीचे दर्शाया गया है) (जिसे आगे "संरक्षित कृति" कहा जाएगा) की एकमात्र और अनन्य स्वामी है।

संरक्षित कृति हमारे ग्राहक द्वारा विकसित एक 'मौलिक कलात्मक रचना' है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉपीराइट कार्यालय में पंजीकरण संख्या VA 2-183-396 के तहत विधिवत पंजीकृत है, जिसकी प्रभावी तिथि 23 अक्टूबर, 2019 है। पंजीकरण और कॉपीराइट कानूनों के लागू प्रावधानों के आधार पर, हमारे ग्राहक के पास संरक्षित कृति पर अनन्य अधिकार, स्वामित्व और हित हैं, जिसमें वाणिज्यिक उपयोग का अनन्य अधिकार, पुनरुत्पादन, प्रकाशन, अनुकूलन, वितरण, शोषण और किसी भी रूप या माध्यम में तीसरे पक्ष द्वारा आगे उपयोग को अधिकृत करने का अनन्य अधिकार शामिल है। संरक्षित कृति को हमारे ग्राहक द्वारा किसी भी कपड़े, वस्त्र, परिधान, सामग्री या किसी अन्य उत्पाद पर पुनरुत्पादन, नकल, मुद्रण, अनुकूलन या अनुप्रयोग के लिए लाइसेंस, आवंटन, अधिकृत या अन्यथा अनुमति नहीं दी गई है, चाहे वह हमारे ग्राहक द्वारा स्पष्ट रूप से या अन्यथा निर्मित किया गया हो। इसलिए, कोई भी व्यक्ति या संस्था जो हमारे ग्राहक की पूर्व लिखित सहमति के बिना "संरक्षित कृति" के उपयोग या चित्रण, या उसके किसी मिलते-जुलते या पर्याप्त रूप से पुनरुत्पादित उत्पाद का पुनरुत्पादन, नकल, अनुकरण, अनुकूलन, निर्माण, विपणन, वित्तरण या बिक्री करती है, वह हमारे ग्राहक के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करेगी और ऐसा पुनरुत्पादन अपने स्वयं के जोखिम, लागत और परिणामों के लिए करेगी। हमारे ग्राहक के पास भारत में "संरक्षित कृति" और उसके किसी भी उल्लंघन के संबंध में सभी अधिकार सुरक्षित हैं, जिनमें किसी भी ज्ञात या अज्ञात पक्ष के विरुद्ध उचित दीवानी और / या आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का अधिकार शामिल है। यह सूचना हमारे ग्राहक द्वारा अधिकारों की घोषणा के रूप में और जनता को "संरक्षित कृति" में हमारे ग्राहक के स्वामित्व अधिकारों के किसी भी उल्लंघन में शामिल होने से आगाह करने के लिए जारी की जा रही है।

जारीकर्ता:
सूरी एंड कंपनी, लॉ फर्म,
फ्लैट नंबर 10 और 12.
गोल्फ अपार्टमेंट्स,
सूजान सिंह पार्क, नई दिल्ली-110003
स्थान : जयपुर, राजस्थान
दिनांक : 13/04/2026

कार्यालय उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर
आवश्यक सूचना

आवास संख्या 4/85, एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर जो कि मूलतः श्री वजीर सिंह भयाना पुत्र श्री साधु सिंह भयाना को आवंटन पत्रांक 4899 दिनांक 31.03.1993 के द्वारा आवंटित किया गया था। मण्डल द्वारा श्री वजीर सिंह भयाना को आवास का कब्जा दिनांक 14.04.1994 को संभलवाया जा चुका था। श्री वजीर सिंह भयाना की मृत्यु दिनांक 13.01.2023 को हो जाने के उपरांत उनके उत्तराधिकारी पुत्र श्री विपिन कुमार भयाना द्वारा मण्डल नियमानुसार प्रस्तुत शपथपत्रों एवं अन्य प्रपत्रों के आधार पर उक्त आवास का मृत्यु उपरान्त नाम हस्तांतरण किये जाने हेतु शुल्क जमा करा कर आवेदन किया गया है। अतः जरिये इस विज्ञप्ति यह आगाह किया जाता है कि उक्त आवास संख्या 4/85, एन.ई.बी. विस्तार योजना, अलवर के सम्बन्ध में पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, अन्य किसी रिश्तेदार व्यक्ति विशेष या हितकारी को एवं आम व्यक्ति विशेष को उजर एतराज हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 10 दिवस में, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर में अपना एतराज लिखित में प्रस्तुत करें अन्यथा श्री विपिन कुमार भयाना पुत्र स्व. श्री वजीर सिंह भयाना के पक्ष में आवास का मृत्यु उपरान्त नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जावेगी।
उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल वृत अलवर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर - 0141-4901853
क्रमांक : 1065 **आम जाहिर सूचना** दिनांक : 10.04.2026

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर **आवास संख्या 3/66 जवाहर नगर जयपुर, क्षेत्रफल 253.808 वर्ग मीटर** का आवंटन **श्री मंगतराम कपूर** को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक **5183** दिनांक **30.06.1980** जारी किया गया था। उनके द्वारा आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर प्रथम में दिनांक **31.08.1990** को करवाया गया था। **श्री मंगत राम कपूर** की मृत्यु दिनांक **02.01.2013** को हो जाने के कारण **श्री संजय कपूर पुत्र स्व. श्री मंगतराम कपूर** एवं **श्रीमती उषा कपूर पत्नी स्व. श्री सुनील कपूर** के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा प्रशासनिक शुल्क की छाया प्रति, शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम से करने का निवेदन किया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति / बैंक / संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता **श्री संजय कपूर पुत्र स्व. श्री मंगतराम कपूर एवं श्रीमती उषा कपूर पत्नी स्व. श्री सुनील कपूर** के पक्ष में आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी। **सम्पदा प्रबंधक**
वृत तृतीय, रा.आ. मण्डल, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं स्थानीय अधिकारी नगर पालिका मण्डल किशनगढ़ - रेनवाल (जयपुर)
क्रमांक/नपाकिरे/2025-26/भूमि/93 दिनांक : 13.04.2026
प्रारूप-10 [नियम 6 (7) देखिए]
लोक सूचना

श्री अजित जाखड़ पुत्र श्री गोमाराम जाखड निवासी डिसा, अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नन्दलाल निवासी रेनवाल, श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री मनोहर सिंह शेखावत निवासी जयपुर सुरेन्द्र गढवाल पुत्र श्री कन्हैया लाल गढवाल निवासी सुरमलिकपुरा जिला जयपुर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का कृषि से गैर-कृषिक आवासीय प्रयोजन उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात् :-

जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	आवेदक का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल हैक्टेयर
जिला जयपुर, तहसील कि.रेनवाल	जोधपुरा	श्री अजित जाखड़ पुत्र श्री गोमाराम जाखड़, अनिल कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नन्दलाल, श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री मनोहर सिंह शेखावत, सुरेन्द्र गढवाल पुत्र श्री कन्हैया लाल गढवाल	558/92	0.1644

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के कृषि से गैर कृषिक आवासीय उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 07 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 13.04.2026 को जारी की गयी।
(सूर्य कान्त शर्मा) प्राधिकृत अधिकारी नगर पालिका कि.रेनवाल

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा-2025 की उत्तरतालिका बाबत्

बोर्ड द्वारा दिनांक 29 मार्च, 2026 को आयोजित महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा-2025 की अस्थाई उत्तरतालिका (ग्रुप-1 कक्षा 6 से 8, ग्रुप-2 कक्षा 9 से 12 व ग्रुप-3 स्नातक/स्नातकोत्तर) बोर्ड की वेबसाईट https://rajeduboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवा दी गई है। यदि किसी परीक्षार्थी को इस उत्तरतालिका के किसी प्रश्न के उत्तर में आपत्ति है तो वे बोर्ड के ई-मेल आई.डी. bserobjections@gmail.com पर इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के सात दिवस में मय प्रमाण के निर्धारित प्रारूप में आपत्ति दर्ज करावें। इसके उपरान्त प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक द्वारा प्राप्त आपत्तियाँ स्वीकार नहीं की जावेगी। सचिव